

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 53/2022

दायर दिनांक 11.02.2022

वादी

प्रतिवादीगण

1. नानुराम पुत्र कालुराम उम्र 65 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

1. तिलोक चन्द पुत्र कुम्भाराम उम्र 54 वर्ष
2. कमला देवी पत्नि कुम्भाराम उम्र 76 वर्ष
3. दुर्गादेवी पत्नि ताराचन्द उम्र 53 वर्ष
4. केशरीमल पुत्र ताराचन्द उम्र 24 वर्ष
5. महावीर पुत्र ताराचन्द उम्र 29 वर्ष
6. मंजु पुत्री ताराचन्द उम्र 28 वर्ष
7. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम उम्र 48 वर्ष
8. कानाराम पुत्र कालुराम उम्र 61 वर्ष
9. भानाराम पुत्र कालुराम उम्र 57 वर्ष
10. गंगाराम पुत्र कालुराम उम्र 52 वर्ष
11. धन्नी पत्नि कालुराम उम्र 86 वर्ष
12. जीवन पुत्र बोदुराम
13. सोहन पुत्र गिरधारी
14. भागोती पत्नि गिरधारी समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सुद्रासन तह0 डीडवाना
15. शाखा, प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुवां
16. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा सुद्रासन
17. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री पूरण सिंह बोहरा वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 14.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुद्रासन, पटवारी हल्का सुद्रासन, भू0अभि0 नि0 नूवां में कृषि भूमि खसरा सं0 487 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 488 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 489 रकबा 0.0300 हैक्टे0 बारानी उत्तम तथा खसरा सं0 490 रकबा 4.6300 हैक्टे0 चाही तृतीय तथा खसरा सं0 481 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 सड़क, खसरा सं0 482 रकबा 0.0200 हैक्टे, खसरा सं0 483 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 चाही, खसरा सं0 484 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाही, खसरा सं0 485 रकबा 0.0300 हैक्टे, खसरा सं0 486 रकबा 4.1200 हैक्टे0 चाही तृतीय, खसरा सं0 518 रकबा 3.5900 हैक्टे0 बारानी उत्तम कुल खसरा 12 कुल रकबा 12.9800 हैक्टे0 बारानी प्रथम/उत्तम अवस्थित है जिसके वादी एवंप्रतिवादीगण सं0 01 ता 14 खातेदार काबिज काश्तकार है।

यह है क उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 14 का बराबर-बराबर हिस्सा है प्रतिवादी सं0 एक के पिता स्व0 कुम्भाराम की मृत्यु अर्सा करीब 8 वर्ष पूर्व हो गई थी, इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 03 ता 06 के पिता/पति स्व0 चाराचन्द की मृत्यु भी 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 13 व 14 के पिता/पति का स्वर्गवास अर्सा करीबन 30 वर्ष पूर्व हो चुका था। उपरोक्त वर्णित अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा स्व0 बोदुराम, स्व0 कुम्भाराम, स्व0 कालुराम के जीवन काल में मौखिक रूप से कर रखा था तथा इसी अनुरूप वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 14 का काबिज काश्तकार है।




सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 14 का उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार हिस्सा अनुरूप घोषित किया जावे।

1. वादी नानुराम, प्रतिवादी सं० 7 ता 10 ओमप्रकाश पुत्र कालुराम, कानाराम पुत्र कालुराम, भानाराम पुत्र कालुराम, गंगाराम पुत्र कालुराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 488 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 489 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 490 रकबा 4.6300 हैक्टे०, चाही तृतीय खसरा सं० 579 रकबा 0.4900 हैक्टे० हिस्सा सम्पूर्ण रकबा का 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार। खसरा सं० 487 रकबा 0.0200 उपरोक्त सभी समलाती।
2. प्रतिवादी सं० 01 तिलोकचन्द व प्रतिवादी सं० 2 ता 6 के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 485 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 486 रकबा 4.1200 हैक्टे०, चाही में से 1/3, 1/3 बराबर-बराबर हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार। खसरा सं० 481 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० सड़क, खसरा सं० 482 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 483 रकबा 0.0200 हैक्टे तथा खसरा सं० 484 रकबा 0.0100 हैक्टे०।
3. प्रतिवादी सं० 12 ता 14 जीवण पुत्र बोदूराम, सोहन पुत्र गिरधारी, भागोती पत्नि गिरधारी के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 518 रकबा 3.5900 हैक्टे० में से 1/2, 1/2 हिस्सा बराबर-बराबर संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं० 05 इकबालिया जवाब व प्रतिवादी सं० 01 ता 04, 06 ता 10 का राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तसदीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 11 ता 17 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—: आदेश :-


अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै खसरा सं० 487 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 488 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 489 रकबा 0.0300 हैक्टे० बरानी उत्तम तथा खसरा सं० 490 रकबा 4.6300 हैक्टे० चाही तृतीय तथा खसरा सं० 481 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० सड़क, खसरा सं० 482 रकबा 0.0200 हैक्टे, खसरा सं० 483 रकबा 0.0200 हैक्टे० गै०मु० चाही, खसरा सं० 484 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० चाही, खसरा सं० 485 रकबा 0.0300 हैक्टे, खसरा सं० 486 रकबा 4.1200 हैक्टे० चाही तृतीय, खसरा सं० 518 रकबा 3.5900 हैक्टे० भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. वादी नानुराम, प्रतिवादी सं० 7 ता 10 ओमप्रकाश पुत्र कालुराम, कानाराम पुत्र कालुराम, भानाराम पुत्र कालुराम, गंगाराम पुत्र कालुराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 488 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 489 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 490 रकबा 4.6300 हैक्टे०, चाही तृतीय खसरा सं० 579 रकबा 0.4900 हैक्टे० हिस्सा सम्पूर्ण रकबा का 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार। खसरा सं० 487 रकबा 0.0200 उपरोक्त सभी समलाती।
2. प्रतिवादी सं० 01 तिलोकचन्द व प्रतिवादी सं० 2 ता 6 के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 485 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 486 रकबा 4.1200 हैक्टे०, चाही में से 1/3, 1/3 बराबर-बराबर हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार। खसरा सं० 481 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० सड़क, खसरा सं० 482 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 483 रकबा 0.0200 हैक्टे तथा खसरा सं० 484 रकबा 0.0100 हैक्टे०।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

3. प्रतिवादी सं० 12 ता 14 जीवण पुत्र बोदूराम, सोहन पुत्र गिरधारी, भागोती पत्नि गिरधारी के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 518 रकबा 3.5900 हैक्टे० में से 1/2, 1/2 हिस्सा बराबर-बराबर संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 53/2022

दायर दिनांक 11.02.2022

वादी

1. नानुराम पुत्र कालुराम उम्र 65 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रतिवादीगण

1. तिलोक चन्द पुत्र कुम्भाराम उम्र 54 वर्ष
2. कमला देवी पत्नि कुम्भाराम उम्र 76 वर्ष
3. दुर्गादेवी पत्नि ताराचन्द उम्र 53 वर्ष
4. केशरीमल पुत्र ताराचन्द उम्र 24 वर्ष
5. महावीर पुत्र ताराचन्द उम्र 29 वर्ष
6. मंजु पुत्री ताराचन्द उम्र 28 वर्ष
7. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम उम्र 48 वर्ष
8. कानाराम पुत्र कालुराम उम्र 61 वर्ष
9. भानाराम पुत्र कालुराम उम्र 57 वर्ष
10. गंगाराम पुत्र कालुराम उम्र 52 वर्ष
11. धन्नी पत्नि कालुराम उम्र 86 वर्ष
12. जीवण पुत्र बोदुराम
13. सोहन पुत्र गिरधारी
14. भागोती पत्नि गिरधारी समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सुद्रासन तह0 डीडवाना
15. शाखा, प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुवां
16. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा सुद्रासन
17. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.


दिनांक 14.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री पूरण सिंह बोहरा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै खसरा सं0 487 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 488 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 489 रकबा 0.0300 हैक्टे0 बारानी उत्तम तथा खसरा सं0 490 रकबा 4.6300 हैक्टे0 चाही तृतीय तथा खसरा सं0 481 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 सड़क, खसरा सं0 482 रकबा 0.0200 हैक्टे, खसरा सं0 483 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 चाही, खसरा सं0 484 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाही, खसरा सं0 485 रकबा 0.0300 हैक्टे, खसरा सं0 486 रकबा 4.1200 हैक्टे0 चाही तृतीय, खसरा सं0 518 रकबा 3.5900 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. वादी नानुराम, प्रतिवादी सं0 7 ता 10 ओमप्रकाश पुत्र कालुराम, कानाराम पुत्र कालुराम, भानाराम पुत्र कालुराम, गंगाराम पुत्र कालुराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं0 488 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 489 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 490 रकबा 4.6300 हैक्टे0, चाही तृतीय खसरा सं0 579 रकबा 0.4900 हैक्टे0 हिस्सा सम्पूर्ण रकबा का 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार। खसरा सं0 487 रकबा 0.0200 उपरोक्त सभी समलाती।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

2. प्रतिवादी सं० 01 तिलोकचन्द व प्रतिवादी सं० 2 ता 6 के बंट में आई भूमि :-
खसरा सं० 485 रकबा 0.0300 हैक्टे०, खसरा सं० 486 रकबा 4.1200 हैक्टे०,
चाही में से 1/3, 1/3 बराबर-बराबर हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार।
खसरा सं० 481 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० सड़क, खसरा सं० 482 रकबा 0.
0200 हैक्टे०, खसरा सं० 483 रकबा 0.0200 हैक्टे तथा खसरा सं० 484 रकबा
0.0100 हैक्टे०।
3. प्रतिवादी सं० 12 ता 14 जीवन पुत्र बोदूराम, सोहन पुत्र गिरधारी, भागोती पत्नि
गिरधारी के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 518 रकबा 3.5900 हैक्टे० में से
1/2, 1/2 हिस्सा बराबर-बराबर संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा व
राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।
नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को राष्ट्रीय
लोक अदालत में जारी की गयी।


सहायक कमिश्नर
सहायक कमिश्नर
डीडवा (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	डीडवान्तर्पय (नागौर)	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कमिश्नर
डीडवा (नागौर)